

04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 17.01.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण रामचिज नाई, रेनू नाई पुत्रगण उमा नाई निवासीगण सिमरी जमालपुर थाना घोसी तथा थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण रच्छे चौहान पुत्र जयराम चौहान निवासी खानपुर थाना सरायलखन्सी, रामानन्द पुत्र दुधनाथ निवासी बभनीकोल सरवां थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 02

अभियुक्तो को आजीवन कारावास व ₹21,000-11000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 17-01-2025 को मु0अ0सं0 926/2008 के धारा 302,201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्तगण जितेन्द्र साहनी पुत्र श्री कान्त साहनी निवासी हलीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद, विरजू राम पुत्र श्री स्व0 रामदास निवासी प्रधानपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹21,000-11000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।